राष्ट्रीय आयोडीन न्युनता विकार नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत प्राचार्य, आरोग्य व कुटुंब कल्याण प्रशिक्षण केंद्र, नागपूर, कोल्हापूर, औरंगाबाद, पुणे, नाशिक व अमरावती येथील गलगंड सर्वेक्षण पथकातील २० अस्थायी पदे पुढे चालू ठेवणेबाबत...

महाराष्ट्र शासन सार्वजनिक आरोग्य विभाग शासन निर्णय क्रमांकः आन्युवि–२०२२/प्र.क्र.१८७/आ-५

गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार, संकुल इमारत, १० वा मजला, मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१ तारीख: २५ सप्टेंबर, २०२४

वाचा -

- १) सार्वजनिक आरोग्य विभाग शासन निर्णय क्रमांक: पदआ-२००७/प्र.क्र.११७/सेवा-१, दि. ६ ऑगस्ट, २००७
- २) सार्वजनिक आरोग्य विभाग शासन निर्णय क्रमांक: पदआ-२००७/प्र.क्र.११७/सेवा-१,दि.२१ सप्टेंबर, २०१२
- ३) सार्वजनिक आरोग्य विभाग शासन निर्णय क्रमांक: आन्युवि-२०२२/प्र.क्र.१८७/आ-५, दि. ०७ मे, २०२४
- ४) वित्त विभाग, शा.नि. क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.०६ ०९.२०२४
- ५) उपसंचालक, आरोग्य सेवा, (राआन्युविनिका), मुंबई यांचे पत्र क्र.संआसे/कक्ष७क/सर्वेक्षण पथक/अपदे/प्रस्ताव/३३४७/२४, दि.१९.०९.२०२४

प्रस्तावना:-

राष्ट्रीय आयोडीन न्युनता विकार नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत प्राचार्य, आरोग्य व कुटुंब कल्याण प्रशिक्षण केंद्र, नागपूर, कोल्हापूर, औरंगाबाद, पुणे, नाशिक व अमरावती येथील गलगंड सर्वेक्षण पथकातील २० अस्थायी पदे सार्वजनिक आरोग्य विभागाने वरील अ.क्र. १ व २ येथे नमुद शासन निर्णयान्वये मंजुरी दिलेल्या सुधारीत आकृतीबंधात समाविष्ट आहेत. सदर पदे राज्यातील जनतेला आवश्यकतेनुसार आरोग्य सुविधा पुरवित असल्याने, पदांचे कामकाजाचे स्वरुप व महत्व लक्षात घेता, संदर्भ क्र.५ येथील उपसंचालक यांच्या प्रस्तावानुसार सदर २० अस्थायी पदांना दि.०१.०९.२०२४ ते दि.२८.०२.२०२५ पर्यंत मुदतवाढ देणे आवश्यक असल्याने सदर अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

शासन निर्णय:-

राष्ट्रीय आयोडीन न्युनता विकार नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत प्राचार्य, आरोग्य व कुटुंब कल्याण प्रशिक्षण केंद्र, नागपूर, कोल्हापूर, औरंगाबाद, पुणे, नाशिक व अमरावती येथील गलगंड सर्वेक्षण

पथकातील २० अस्थायी पदांना दि.०१.०९.२०२४ ते दि.२८.०२.२०२५ पर्यंत पुढे चालू ठेवण्यास मान्यता देत आहे.

| अ. | पदनिर्मितीच्या शासन निर्णयाचा क्रमांक | पदनाम | पदांची | वेतनश्रेणी | | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------|--------|------------------------|--|--|
| क्र. | व दिनांक | | संख्या | | | |
| अ) गलगंड सर्वेक्षण पथक, नागपूर | | | | | | |
| ٩. | शा.नि.क्र.पदआ-२००७/प्र.क्र.११७ | वैद्यकीय अधिकारी | 9 | रु.५६१००-१७७५०० | | |
| | /सेवा-१, दि.२१ सप्टेंबर, २०१२ | (वर्ग-२) | | | | |
| २. | " | सांख्यिकी अधिकारी | 9 | रु.४१८००-१३२३०० | | |
| | | (वर्ग-२) | | | | |
| ₹. | " | सर्वेक्षण कार्यकर्ता | २ | रु.१९९००-६३२०० | | |
| | | (वर्ग-३) | | | | |
| ٧. | " | वाहन चालक | 9 | रु.१९९००-६३२०० | | |
| | | (वर्ग-३) | | | | |
| | | एकूण | ч | | | |
| ब) गलगंड सर्वेक्षण पथक, कोल्हापूर | | | | | | |
| ٩. | शा.नि.क्र.पदआ-२००७/प्र.क्र.११७/ | वैद्यकीय अधिकारी | 9 | रु.५६१००-१७७५०० | | |
| | सेवा-१,दि.२१ सप्टेंबर, २०१२ | (वर्ग-२) | | | | |
| ٦. | ,, | सांख्यिकी अधिकारी | 9 | रु.४१८००-१३२३०० | | |
| | | (वर्ग-२) | | | | |
| 3. | ,, | सर्वेक्षण निरिक्षक | 9 | रु.१९९००-६३२०० | | |
| | | (वर्ग-३) | | | | |
| 8. | ,, | सर्वेक्षण कार्यकर्ता | २ | रु.१९९००-६३२०० | | |
| | | (वर्ग-३) | | | | |
| 4. | ,, | वाहन चालक | 9 | रु.१९९००-६३२०० | | |
| | | (वर्ग-३) | | | | |
| | | एकूण | દ્દ | | | |
| क) गलगंड सर्वेक्षण पथक, औरंगाबाद | | | | | | |
| ٩. | शा.नि.क्र.पदआ-२००७/प्र.क्र.११७/ | वैद्यकीय अधिकारी | 9 | रु.५६१००-१७७५०० | | |
| | सेवा-१, दि.२१ सप्टेंबर, २०१२ | (वर्ग-२) | | | | |
| ٦. | ,, | सांख्यिकी अधिकारी | 9 | ক. ४१८००-१३२३०० | | |
| | | (वर्ग-२) | | | | |
| | | | | | | |

| 3. | ,, | सर्वेक्षण निरिक्षक | 9 | रु.१९९००-६३२०० | | | |
|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|-----|-----------------|--|--|--|
| | | (वर्ग-३) | | | | | |
| ٧. | ,, | सर्वेक्षण कार्यकर्ता | २ | रु.१९९००-६३२०० | | | |
| | | (वर्ग-३) | | | | | |
| ч. | ,, | वाहन चालक | 9 | रु.१९९००-६३२०० | | | |
| | | (वर्ग-३) | | | | | |
| | | एकूण | દ્દ | | | | |
| ड) गलगंड सर्वेक्षण पथक, पुणे | | | | | | | |
| ٩. | शा.नि.क्र.पदआ-२००७/प्र.क्र.११७/ | वैद्यकीय अधिकारी | 9 | रु.५६१००-१७७५०० | | | |
| | सेवा-१,दि.२१ सप्टेंबर, २०१२ | (वर्ग-२) | | | | | |
| | | एकूण | ٩ | | | | |
| इ) गलगंड सर्वेक्षण पथक, नाशिक | | | | | | | |
| ٩. | सा.आ.विभाग,शा.नि.क्र.पदआ- | वैद्यकीय अधिकारी | 9 | रु.५६१००-१७७५०० | | | |
| | २००७/प्र.क्र.११७/सेवा-१, | (वर्ग-२) | | | | | |
| | दि.२१ सप्टेंबर, २०१२ | | | | | | |
| | | एकूण | ٩ | | | | |
| फ) गलगंड सर्वेक्षण पथक, अमरावती | | | | | | | |
| ٩. | सा.आ.विभाग,शा.नि.क्र.पदआ- | वैद्यकीय अधिकारी | ٩ | रु.५६१००-१७७५०० | | | |
| | २००७/प्र.क्र.११७/सेवा-१, | (वर्ग-२) | | | | | |
| | दि.६ ऑगस्ट, २००७ | | | | | | |
| | | एकूण | 9 | | | | |
| | एकूण (अ+ब+क+ड+इ+फ) | | २० | | | | |

२. या पदांवरील खर्च खाली नमूद केलेल्या लेखाशिर्षातून सन २०२४-२५ च्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा.

> मागणी क्र. आर-१ २२१०-वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य ०६-सार्वजनिक आरोग्य ०१-संचालन व प्रशासन, (०१)(०२) प्रादेशिक कार्यालये सांकेतांक (२२१० ०३५१)

- ३. सदर शासन निर्णय वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.पदिन २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.०६.०९.२०२४ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. तसेच, उपरोक्त अस्थायी पदांना मुदतवाढ दिलेल्या कालावधीत वित्त विभागाच्या दि.०६.०९.२०२४ रोजीच्या शासन निर्णयातील निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही करण्यात यावी.
- ४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या <u>www.maharashtra.gov.in</u> या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०९२५१२४२१९५६१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

(महेश हंशेट्टी) कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन

प्रत,

- १) आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई.
- २) महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखापरिक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर.
- ३) संचालक, आरोग्य सेवा, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई.
- ४) सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन), मुंबई.
- ५) उपसंचालक, आरोग्य सेवा (राआन्युविनिका-गलगंड), आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई.
- ६) उपसंचालक, आरोग्य सेवा, नागपूर, कोल्हापूर, औरंगाबाद, पुणे, नाशिक, अमरावती.
- ७) प्राचार्य, आरोग्य व कुटुंब कल्याण प्रशिक्षण केंद्र, नागपूर, कोल्हापूर, औरंगाबाद, पुणे, नाशिक, अमरावती.
- ८) जिल्हा आरोग्य अधिकारी, नागपूर, कोल्हापूर, औरंगाबाद, पुणे, नाशिक, अमरावती.
- ९) सहायक संचालक, आरोग्य सेवा (लेखा व परिक्षण), पुणे.
- १०) जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर, कोल्हापूर, औरंगाबाद, पुणे, नाशिक, अमरावती.
- ११) वित्त विभाग, व्यय-१३, अर्थसंकल्प-३, अर्थसंकल्प-९, आ.पु.क., मंत्रालय, मुंबई-३२.
- १२) निवडनस्ती (आरोग्य-५).